न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33/2026 निर्णय दिनांक 11-5-26
जीसीएमएस संख्या (2026/89)

1. मिठो पत्नी मोहम्मद शरीफ कौम मुसलमान साकिन केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अरसा
3. मरीया
4. मोहम्मद आरीफ

} पिसरान मोहम्मद शरीफ कौम मुसलमान साकिन केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. मोहम्मद शरीफ पुत्र रमजान खां कौम मुसलमान साकिन केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छतरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23—02—2026
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मलिक खान, अभिभाषक रेस्पेडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के आदेश दिनांक 23—02—2026 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट संख्या 1 ता 4 कि पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके रोही केला स्थित खेत खसरा नंम्बर 200 रकबा 40.12 बीघा एवं कुण्डा का खसरा नंम्बर 17/234 रकबा 50.00 बीघा की कुल 90.12 बीघा भूमि स्थिति चली आ रही है और अपीलांटान द्वारा उक्त भूमि मे ढाणी व पानी का कुण्ड बना रखा है और खेत में ही निवास करते आ रहे है और प्रतिवर्ष भूमि काश्त करते आ रहे है। अपीलांटान के पति/पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सन् 2000 में दूसरी औरत के साथ रहने का निर्णय किया जिस पर समाज के मौजीज व्यक्ति इक्कठा हुए जिसमें नाजूखां पुत्र कासमखां व समूखां पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान साकिन केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर उपस्थित थे इनकी मौजूदगी में अपीलांट संख्या 1 ने अपने मेहर की राशि की मांग की तथा अपीलांट संख्या 2 ता 4 की बाबत् कृषि भूमि में हिस्सेदारी की बात होने पर रोही केला का खसरा नम्बर 200 रकबा 40.12 बीघा एवं रोही कुण्डा का खसरा नम्बर 17/234 रकबा 50.00 बीघा कुल 90.12 बीघा बारानी खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांटान के हक में जरिये मौखिक हिदा, कर दिया गया था उक्त मौखिक घोषणा पर्याप्त होने से इस कृषि भूमि पर सन 2000 से अपीलांटान बतौर काश्तकार खातेदार काबिज चले आ रहे है लेकिन अनपढ़ व कानून से अनभिज्ञ होने से इस भूमि में अपना नामान्तरण दर्ज नहीं करवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दुसरी पत्नी के बहकावे में आकर एवं उसके कहे अनुसार मन में लालच आने पर उसने इस कृषि भूमि को बेचने के लिये मौके पर इस कृषि भूमि को दिखाने के लिये ग्राहक लाने लगा जिस पर अपीलांटान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कहा कि यह भूमि आपने हमे दे रखी है इसलिए अब उस भूमि को आप विक्रय नहीं कर सकते इस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐलानिया धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि अब तक उसके नाम से खातेदारी अंकित चली आ रही है इसलिए वह इस भूमि को विक्रय करेगा इस पर अपीलांटान ने अधिनस्थ न्यायालय में निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.02.2020 को रेस्पोडेन्ट के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सन् 2000 से अपीलांटान को त्याग रखा है तथा अन्य स्त्री के साथ अलग निवास करता आ रहा है अपीलांट संख्या 1 से अलाहीदा जिन्दगी बसर करता आ रहा है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांटान के साथ किसी प्रकार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई सम्बंध नहीं रखता है और ना ही किसी प्रकार का कोई भरण–पोषण करता है बल्कि अपीलांट संख्या 1 ही अपने उक्त खेत में मेहनत मजदूरी करके तथा हिबा में प्राप्त उपरोक्त लिखित कृषि भूमि को काश्त करके अपना व अपने बच्चों का पालन–पोषण करती रही है तथा अपने बच्चो की शादीयां भी की है। जिसका ज्ञान रेस्पोडेन्ट को होते हुवे भी उसके द्वारा अन्य भूमियों विकय कि जा चूकी है अब उपरोक्त लिखित वादगत भूमि को विक्रय करने कि कोशिश में है जिसमें वह सफल हो जाता है तो अपीलांटान को अपना जीवनयापन करने में कठिनायां उत्पन्न हो जायेगी जिसके बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया था परन्तु अधिनसी न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण से कोई विचार किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये आदेश जैर अपील विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध होने के कारण एवं भूमि को विक्रय करने से रोकने के लिए कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है जिसका ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को होते हुवे भी जानबूझकर विधि विरुद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपीलांटान के कथनों से इंकार किया एवं वादगत भूमि पर कब्जा नहीं होने का कथन किया तथा अपीलांटान द्वारा सन् 2000 से कब्जा अपना होना अंकित किया है इस पर अधीनस्थ का यह कर्तव्य था कि वादगत भूमि कब्जा काश्त कि मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये थी ताकि न्यायालय के समक्ष सहीं तथ्य प्रकट हो जाता कि मौके पर किसी पक्ष का कब्जा है परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के जवाब को सहीं मानते हुवे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान कि और से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विभिन्न रूलिंगे प्रस्तुत की गई थी जिनमें यह निर्णय किये गये थे कि हिबा दो व्यक्तियों के सामने मौखिक भी किया जा सकता है जिसको कानून में मान्यता दी गई है तथा वादग्रस्त संपति की सुरक्षा करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी आवश्यक है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रूलिंगो पर अपना कोई विवेचन अंकित नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को कानून की जानकारी होते हुए भी जानबुझकर कानून के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूल कारित की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ दिनांक 23–02–2026 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने लिखत बहस में कथन किये कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 23–02–2026 के विरूद्ध अपील पेश की है जो मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए के विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 90ए, 188 आरटीए के तहत पेश किया तथा साथ में धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति के बिन्दू पर विवेचन करते हुए अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद हिब्बा सरिया कानून के आधार पर प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए भी इसी वाद आधार के बिन्दू को आधार मानते हुए प्रस्तुत किया था जबकि वास्तविक रूप से अधीनस्थ न्यायालय में वादी न तो अपना मूल वाद प्रार्थना पत्र का आधार प्रस्तुत कर सके और ना ही कोई साक्ष्य पेश किये। महज मौखिक कथनो के आधार पर दावा पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन रकबा का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर तार पट्टी व ढाणी, कुण्ड बनाकर निवास कर रहा है। अपीलांट हिब्बा का मूल वाद मंशा साबित करने में असफल रहा है जिसका चूंकि रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार तथा मुस्लिम विधि में जन्म से कोई काश्तकारी या मालिकाना अधिकार उत्पन्न नही होते। इसलिए धारा 212 आरटीए में हिब्बा के अनुसार निर्णय किया जाना विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायाय को हिब्बा के परीक्षण का अधिकार ही प्राप्त नही है। इसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में साबित नही है तथा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के मूल आधार अपूर्णीय क्षति को साबित करने मे असफल रहे है। अपीलांट द्वारा न तो प्रथम दृष्टया मामला ना ही कब्जा काश्त है। इस सूरत में अपीलांट को क्षति होने की कोई गुंजाइश नही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा द्वारा यह विनिश्चय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नही? क्या अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित की गई है अथवा नही?

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण किया गया।

अपीलांट/प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका आधार अपीलांट द्वारा यह लिया गया है कि विवादित आराजी वाके रोही केला स्थित खेत खसरा नंम्बर 200 रकबा 40.12 बीघा एवं कुण्डा का खसरा नंम्बर 17/234 रकबा 50.00 बीघा की कुल 90.12 बीघा भूमि स्थिति है। उक्त भूमि का मौखिक हिब्बा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 1 ता 4 को किया गया था। अपीलांट अनपढ़ व कानून से अनभिज्ञ होने से उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज नही करवा सके। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर प्रश्नगत आराजी का बैचान कर रहा है। जिसे रोकने के लिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन पश्चात इस संबंध में इस न्यायालय का विनम्र मत यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांट संख्या 1 ता 4 व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक ही परिवार के लोग है तथा मुस्लिम समुदाय से आते है। मुस्लिम विधि में जन्म से अधिकार मान्य नही है। प्रत्येक मुस्लिम उतराधिकार का अंश निश्चित होता है। पूर्वज की संपति पर उसके जीवनकाल में वारिसान का जन्म से अधिकार सृजित नही होता है। अपीलांट केवल मात्र मौखिक आधार पर प्रश्नगत आराजी पर अपना अधिकार प्रकट कर रहे है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी उनको मौखिक हिब्बा के आधार पर प्राप्त हुई है परन्तु अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है।

अपीलांट प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे। रेस्पोडेन्ट इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में बनता है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि विवादित आराजी पर उसका विधिक कब्जा होना साबित हो। दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से खातेदार अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो सकता है। इस स्थिति में अपूर्णनीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दूओं का विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही होने से इसके हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 11-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर